.....बहुउद्देशीय विकास सहयोग समिति लि0

की

उप–विधियाँ

.....बहुउद्देशीय विकास सहयोग समिति लि0 की उप–विधियाँ

1. इस समिति का नाम जो झारखण्ड को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट (सन् 1935 का एक्ट 6) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है **''.....बहुउद्देशीय विकास सहयोग समिति लिमिटेड''** कहलायेगी।

2. समिति का रजिस्टर्ड पता : पत्रालय–....., थाना–....., प्रखंड–....., सबडिविजन–....., जिला–.....होगा।

   समिति के रजिस्टर्ड पते में परिवर्तन होने पर इसकी सूचना रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटीज, झारखण्ड को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 और झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 एवं अन्य अर्थ प्रबन्धक बैंक (Managing Bank)को इस प्रकार के परिवर्तन होने के 15 दिनों के भीतर दे दी जायगी।

3. **उद्देश्य**– इस समिति का उद्देश्य उद्योग और सदस्यों की आर्थिक एवं नैतिक अवस्था की सहयोग, मितव्ययिता, स्वाबलम्बन एवं पारस्परिक सहायता की भावना को प्रोत्साहन देकर उन्नति करना है प्रत्यक्ष रूप में :–

   (1) शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित देना/दिलाना या इस हेतु समिति एवं संस्था खोलेगी। यथा– आई0 टी0 आई0 पोलिटेक्नीक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज, एग्रीकल्चर इन्स्टीच्युट, प्रबंधन संस्थान, सहकारिता प्रशिक्षण आदि अन्य कौशल विकास हेतु संस्था खोलेगी।

   (2) कृषि फल–सब्जी एवं उद्यानिक क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा करने के लिए बीच उत्पादन आधुनिक सिंचाई संसाधन की व्यवस्था, ड्रीप एरिगेशन, माइक्रो एरिगेशन, लिफ्ट एरिगेशन, चैक डैम, तलाब की व्यवस्था करना, आधुनिक अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना करना।

   (3) स्वरोजगार प्रदान करने के लिए मधुमक्खी पालन, गव्य पालन, बकरी पालन, भेड़, सूअर एवं कुक्कुट पालन, लाह उत्पादन एवं लघु वनोपज संग्रह, बांस उत्पाद को बढ़ावा देना एवं इसके लिए प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना करना। प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र, शिल्प विकास प्रशिक्षण–सह–बिक्री केन्द्र की स्थापना करना।

   (4) समिति सदस्यों के उत्पादित मालों की बिक्री हेतु केन्द्र, शोरूम, भण्डार गृह, शीत भण्डार गृह एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल बैठाना एवं समिति द्वारा संचालन करना।

   (5) समिति सदस्यों के उत्पादित मालों की बिक्री हेतु स्थानीय बाजारों के साथ–साथ अन्तर्राज्यीय एवं वैश्विक बाजार उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लाभ अपने सदस्यों को देना।

(6) सदस्यों को कच्चा माल उपलब्ध कराना।

(7) उपभोग वस्तुओं, अन्य घरेलु जरूरत की चीजों और जीवन में संबंधित आवश्यक समानों की खरीद की व्यवस्था करना और इन खरीदी हुई वस्तुओं को अपने सदस्यों के द्वारा समुचित दरों पर बेचने की व्यवस्था करना।

(8) कृषि में रसायनिक खाद/कीटनाशकों का उपयोग कम कर आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। यथा आर्गेनिक खाद एवं आर्गेनिक कीटनाषकों का उत्पादन करना या कराना।

(9) ईको फेंडली उद्योगों की स्थापना करना एवं ईको फेंडली उत्पादित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना।

(10) खनिज सम्पदा उत्खनन, उठाव एवं परिवहन कार्य करना जो समाज व समिति के हित में हो।

(11) किसानों के हित में चावल मील, आटा मील, दाल मील एवं तेल मील का स्थापना करना या अन्य उद्योग लगाना जो समिति के हित में हो।

(12) किसानों के हित में सरकार के महत्वपूर्ण योजना का कार्य करना यथा धान अधिप्राप्ति, फसल बीमा या अन्य योजनाओं को लागू करना या कराना।

(13) थोक की दर पर उद्योग हेतु आवश्यकीय कच्ची वस्तुओं तथा औजारों को खरीदना और अपने सदस्यों को नगदी या उधारी तौर पर उसका दाम निश्चित करना।

(14) सदस्यों को कच्चे माल देकर पक्के माल में परिणत करना और इस रूपान्तर हेतु उन्हें पारिश्रमिक देना।

(15) अपने सदस्यों हेतु बिक्री के लिए या भाड़े पर लगाने हेतु उन्नत मशीनों को खरीदना।

(16) अपने सदस्यों के निर्मित वस्तुओं की जमानत या नगद जमानत पर उन्हें अग्रिम मंजूर करना।

(17) जहाँ पर सदस्यगण सम्मलित रूप से उद्योग चला सकते हैं वहाँ वर्कशोप स्थापित करना तथा सदस्यों द्वारा वस्तुओं के निर्माण हेतु मजदूरों के रूप में उन्हें नियुक्त करना।

(18) जनता, सरकार या अन्यों से ठिकेदारी का कार्य प्राप्त करना और उन कार्यों को सदस्यों की सहायता से या अपने से करना।

(19) सदस्यों को आवश्यकता अनुरूप विशेषज्ञों का सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(20) सरकार या उनके अन्य विभागों में आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराना तथा समानों की आपूर्ति करना।

(21) समिति के कार्य हेतु कोष स्थापित करना।

(22) सदस्यों को बचत की आदत डालने हेतु सदस्यों में ब्याज पर जमा स्वीकार करना।

(23) सदस्यों को तकनीकी व्यापारिक प्रशिक्षण देना।

(24) अपने सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं के सम्मलित विक्रय एवं उनके तैयार माल के सम्मलित विक्रय हेतु एजेंट का कार्य करना।

(25) राष्ट्र एवं राज्य की सहकारी संस्थाओं, शीर्ष सहकारी संस्थानों यथा–झास्कोलैम्फ, झाम्फकोफेड, वेजफेड, झास्कोफिश, डेयरी को–ऑपरेटिव फेडरेशन, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0, ट्राईफेड, नाफेड, लेबर कॉपरेटिव फेडरेशन, एन0सी0सी0एफ0, इफको, कृभकों, केन्द्रीय वेयर हाउस आदि अन्य सहकारी संस्थानों का सदस्य बनना एवं उसके एजेन्ट के रूप में कार्य करना तथा उसके योजनाओं को उसके निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों पर क्रियान्वित करना।

(26) सदस्य हित में कृषि, औद्योगिक उपकरण का निर्माण सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ता का कार्य करना, राष्ट्र तथा राज्य स्तर के शीर्ष सहकारी संस्थानों से सम्बद्धता प्राप्त करना एवं उनके एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

(27) अपने सदस्यों को सस्ते मूल्य पर दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर खोलना।

(28) सदस्यों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति हेतु उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार के समस्त आगे बढ़ाने वाले तथा आकस्मिक कार्यों को करना।

(29) उपरोक्त वर्णित के अलावे सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों एवं गैर सदस्यों (व्यक्ति, अन्य सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थानों और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा उनके नियंत्रण के विभागों आदि) से रूपया जमा, दान, हिस्सा पूँजी, अनुदान, सहायता, ऋण प्राप्त करना या उप–विधियां में बताये गये दूसरे जरियों से निधि इकट्ठा करेगी।

(30) ऐसे सभी कार्य करेगी जिनसे सदस्यों की केन्द्रीयकृत आवश्यकताओं एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले।

4. **कार्य क्षेत्र :** समिति कार्य क्षेत्र ..... में सीमित रहेगा।

5. इस समिति की सम्बन्धता झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक से रहेगा। समिति की सदस्यता उन व्यक्तियों के लिए खुली रहेगी जो,
   (अ) जिसका निवास स्थान कार्य क्षेत्र के भीतर है।
   (ब) जो सचरित्र है।
   (स) जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हों।

(द) जो सामाजिक विकास के कार्यकर्ता हो।

6. 1. प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी के पास छपे हुए फारम पर दस्तखत देंगे, जो उचित जांच पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को मंजूर अथवा नामंजूर का कारण बताते हुए करेगी, प्रबन्धकारिणी कमिटि निर्णय होने के एक पखवारे के अन्दर आवेदक को निर्णय की सूचना

दे देगी। नामंजूरी की अवस्था में ऐसे व्यक्ति व निर्णय की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निबंधक, सहयोग समितियों के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

2. निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य हो सकते हैं।

(क) वे मनुष्य जो इन उप–विधियों के अनुसार नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ प्रवेश शुल्क दे चुके हैं और

(ख) वे मनुष्य जो इन उप–विधियों के अनुसार प्रबंधकारिणी कमिटि द्वारा भर्ती हुए हों।

3. कोई व्यक्ति समिति के सदस्य होने योग्य नहीं होगा यदि :–

(क) वह 18 वर्ष से कम उम्र का हो।

(ख) वह समिति का अथवा सम्बंध करनेवाली समिति का वेतनभोगी कर्मचारी है, वह पागल है।

(ग) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (इनसौलवेन्ट) न्याय निर्णीत होने के लिए आवेदन किये हैं या वह अप्रमाणित दिवालिया है या अनुमुक्त शोधनाक्षम (इनसौलवेन्ट) है। अनुसूचित जाति के विकास का कार्य नहीं करता हो।

(घ) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो जो नैतिक आचरण के अन्तर्गत पड़ती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।

7. प्रत्येक सदस्य को 25/– रूपया प्रवेश शुल्क और कम–से–कम एक अंश अनुदान देना होगा। कमिटि के द्वारा रखी गयी सदस्यों की बही पर इन उप–विधियों के स्वीकार करने पर सदस्यों को अपने नामों का दस्तखत या अंगूठे का निशान देना होगा।

8. मृत सदस्य का विधवा वैध उत्तराधिकारी या वह व्यक्ति जिसका मृत व्यक्ति ने नाम दिया था सदस्य बन सकते हैं। परन्तु इन नाबालिग सदस्यों को कर्ज नहीं दिया जाएगा। ऐसे सदस्य को प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा।

9. **सदस्यता से हटना :** कोई भी सदस्य समिति की प्रबन्धकारिणी कमिटि को 3 महीने की अग्र सूचना देकर, बशर्ते कि वे समिति की कुछ धारते न हो और कम–से–कम एक वर्ष तक सदस्य रह चुके हों समिति से अलग हो सकते हैं।

10. **सदस्य का निकाला जाना** : कोई भी सदस्य निम्नलिखित कारणों से हटाया जा सकता है :–

(अ) उचित रूप से अग्रसूचना दिये जाने के उपरान्त भी समिति के ऋणी रहने पर प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा।

(ब) आम सभा के द्वारा निम्नलिखित कारणों से :–

1. समिति के नियमों और उप नियमों के उल्लंघन करने पर और

2. कोई इस प्रकार का आचरण रहने पर जो प्रबन्धकारिणी कमिटी के समक्ष समिति के आर्थिक अवस्था को दुर्बल कर सकता है या इसको अपमानित कर सकता है। निकाले गये

सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वह, निकाले जाने की आज्ञा प्राप्त होने की तिथि से लेकर तीन महीने के भीतर आम सभा के सामने अपील पेश करें। अपील समिति के सभापति के द्वारा आगामी आम सभा में आर्डर के हेतु रखी जायगी।

11. **सदस्यता की समाप्ति** – सदस्यता निम्नलिखित कारणों से समाप्त हो सकती है :–

1. निर्धारित संख्या में शेयर नहीं रखने पर।

2. सदस्यता की योग्यता को विनष्ट करने पर।

3. उप–विधि 9 के अनुसार प्रबन्धकारिणी से त्यागपत्र देकर हट जाने पर।

4. उप–विधि 10 के अनुसार आम सभा में अधिकांश सदस्यों के द्वारा या प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा निकाले जाने पर।

5. मृत्यु हो जाने पर।

6. स्थायी उन्मादत, नष्टनिधित्व, या अन्य वैध अयोग्यता पर।

7. दिवालिया होने पर।

8. कार्यक्षेत्र से निवास हटा लेने पर।

12. (1) **कोष**– समिति का कोष निम्नलिखित उपायों से एकत्र किया जायगा :–

(अ) अंश पूंजी

(ब) अर्थ प्रबन्धक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे शेडयूल्ड बैंक और रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज, झारखंड के द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जमा और ऋण।

(स) सरकार या अन्य व्यक्तियों के द्वारा सहायता अनुदान या दान।

(द) रिजर्व या अन्य कोष, और

(इ) सदस्यों से चन्दा।

2. **ऋण लेने की सीमा** – ऋण एवं जमा के कारण समिति की बाहरी देन भुगतान की गई अंश पूंजी जोड़ सुरक्षित निधि के 10 गुणा से अधिक कभी न बढ़ने पायेगी।

3. **कोष की रक्षा** – प्रबन्धकारिणी कमिटि के द्वारा निश्चित की गई शर्तो के अधीन आम सभा में निर्वाचित खजांची के संरक्षण में समिति का कोष रहेगा।

4. **कोष को कार्यो में लगाना**– व्यापार में नही लगाये गये समिति के कोष या तो व्यापार में लगाये जा सकते हैं या जमा किए जा सकते हैं।

(अ) पोस्टल सेविंग्स बैंक में या केन्द्रीय को–आपरेटिव बैंक में,

(ब) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट के सेक्शन 20 में विशेष रूप से वर्णित जमानतों के किसी एक में,

(स) रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज की आज्ञा से को–ऑपरेटिव बैंक या समिति के किसी अंश में या

(द) रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज की आज्ञा से किसी भी अन्य रूप में।

13. **हिस्से** – समिति की हिस्सा पूंजी 50,00,00,000 (पचास करोड़) रूपये होगी, जो प्रति अंश 100 (एक सौ) रूपये की दर से 50,00,000 (पचास लाख) हिस्सों में विभक्त होगी। सदस्य को हिस्से की कीमत प्रबंधकारिणी कमिटी में निश्चित किस्तों या एक मुश्त देना होगा। प्रबंधकारिणी कमिटी किस्तों को अदा करने के लिए समय बढ़ोतरी कर सकती है। कोई भी सदस्य बेचे जानेवाले हिस्से के 1/5 से अधिक के हिस्सों को नहीं खरीद सकता है।

14. प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा निर्धारित तिथि पर या उसके पहले अंश किस्त नियमपूर्वक देना होगा। समय की बढ़ती ( ) विशेष अवस्था में और वह भी काफी प्रमाण–पत्र उपस्थित करने पर ही मिलेगा। वे सदस्य जो अंशादन के ऋण अग्रिम के रूप में नहीं दिया जाएगा और उन्हें बाजार के कार्य में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। वह सदस्य जो दो महीने की सूचना दिये जाने पर भी अंश/किस्त चुकता करने में असफल रह जाता है। समिति से निकाल दिया जाएगा और अंशों के उपर दी गई कुल रकम जब्त कर ली जाएगी और रिर्जव फण्ड में ली जायगी।

15. प्रबन्धकारिणी कमिटी के किसी भी सदस्य को उप–विधि 14 के अधीन आम सभा के पूर्व की स्वीकृति के बिना समय की बढ़ती नहीं मिलेगी।

16. **अंश प्रमाण पत्र** – सदस्य को समिति की अपनी मोहर लगा हुआ एक प्रमाण–पत्र लेने का अधिकार होगा जिनमें उसके द्वारा हस्तगत अंशों को विशेष रूप से वर्णन रहेगा। अगर इस प्रकार का प्रमाण–पत्र खो जाए या नष्ट हो जाए तो 25/– रूपया देने पर फिर नवीन प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

17. **अंशों का हस्तांतरण**– कोई भी सदस्य अपने अंश का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, जब तक कि

1. कम से कम अंश को वह अपने अधीन एक वर्ष तक न रख चुका हो।

2. प्रबन्धकारिणी कमिटी का सम्मोदन किसी सदस्य के अंश के हस्तांतरण के संबंध में न हुआ हो।

18. **देन**– (अ) समिति के ऋण हेतु सदस्य को देन उनके द्वारा हस्तांतरण किए अंशों के कुल मुल्य के पांच गुणों तक समिति रहेगी।

(ब) पूर्व सदस्य की या मृत सदस्य को भू–सम्पत्ति की देय या उस हद तक जैसा कि (अ) में वर्णित है। अगर समिति के ऋण से अधिक का है जैसा सदस्यता टूटने या उसके मृत होने के पहले मृत होने या पद छोड़ने की तिथि से झारखण्ड को–ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट (सन् 1935 का ऐक्ट 6) के सेक्शन 32 के विधान के अनुसार दो वर्ष तक चालू रहेगी।

(स) समिति के विघटन की ही अवस्था में देयता लागू की जायगी।

19. (1) **आम सभा**– समिति का सर्वोच्च अधिकार सदस्यों की आम सभा में ही निहित होगा। यह सभा तीन प्रकार की होगी।

(अ.) साधारण (वार्षिक) (ब) असाधारण और (स) विशेष

साधारण आम सभा :–साधारण आम सभा वर्ष समाप्त होने के छः महीने के भीतर होगी। वार्षिक आम सभा के बुलाये जाने की निश्चित तिथि के पहले तक यदि बैलेंश शीट के साथ स्टैटेच्चुरी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा यथाकथित प्रभावित नहीं हो तो उप–विधि 20 में दिये गये आम सभा के कारबार के ही आइटेम केवल लाभ के उपर विचार की बात को छोड़कर आम सभा में कर लिए जायेंगे। इसका विचार आगामी साधारण आम सभा में होगी।

असाधारण आम सभा :–असाधारण आम सभा प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों के द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

विशेष आम सभा– विशेष आम सभा रजिस्ट्रार को–ऑपरेटीव सोसाइटिज या उससे अधिकार प्राप्त अफसरों के द्वारा लिखित आग्रह करने पर प्रधान कार्यालय के उस स्थान पर और उस समय बुलाई जा सकती है जिसका प्रार्थना पत्र में विशेष रूप से वर्णन होगा।

(2) **गणपूरक संख्या**– कुल सदस्यों का पंचमांष (1/5 भाग) सदस्य आम सभाओं के कार्यवाहियों को प्रारम्भ कर सकते हैं। अगर सभा ने निश्चित समय के एक घंटे भीतर गणपूरक संख्या नहीं हो तो सभापति या सभापतित्व करने का दूसरे सदस्य सभा दूसरी तरह से बुलाई गई हो तो कम से कम एक सप्ताह और अधिक से अधिक 21 दिनों तक इसे स्थगित कर सकते हैं।

(3) **मतदान** –समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होगा। मतदान बराबर हो जाने की स्थिति में सभापति को या सभापतिव्त करने वाले अन्य सदस्य को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) **आम सभा हेतु सूचना** – किसी भी साधारण आम सभा या विशेष आम सभा हेतु 15 दिनों की अग्रसूचना दी जाएगी।

20. **साधारण आम सभा के कार्य**– वार्षिक आम सभा समिति के व्यापारों का आम निरीक्षण करेगी और विशेष रूप से प्रबंधकारिणी कमिटी के कार्यो को देखेगी।

वार्षिक आम सभा के ये कार्य होंगे –

(1) सभा के लिए चेयरमैन निर्वाचित करना।

(2) वार्षिक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट शीट पर विचार करना।

(3) इन उप विधियों के अनुसार मुनाफे के वितरण को निश्चित करना। गत वर्ष के बैलेन्स शीट को पास करना तथा मुनाफे के निस्तार पट विचार करना। यदि स्टेच्युटरी अंकेक्षण प्रतिवेदन बैलेन्स शीट के साथ प्रस्तुत न हो तो मुनाफे के वितरण पर विचार असाधारण आमसभा में जो इसी निमित्त बुलायी जाएगी या अगामी साधारण आम सभा में होगी।

(4) इन उप विधियों के अनुसार मुनाफे के वितरण का निश्चित करना।

(5) समिति की तरफ से प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा आगामी वर्ष में प्राप्त करने हेतु सबसे अधिक रकम की सीमा का निश्चय करना।

(6) सदस्यों को उधार दी जाने वाली रकम की सीमा निश्चित करना।

(7) सदस्यों को दिए जानेवाले ऋण पर ब्याज की दर निर्धारित करना।

(8) सदस्यों के द्वारा जमा किये गये रूपयों पर ब्याज की दर निश्चित करना।

(9) नहीं चुकाये गये ऋण पर दंडित ब्याज की दर निश्चित करना।

(10) उप विधि के अधीन आवश्यक कैश बैलेंश की महत्वपूर्ण रकम का निश्चित करना।

(11) समिति के व्यापार में उन्नति करने हेतु किसी स्कीम पर विचार करना एवं उसे स्वीकृति प्रदान करना।

(12) प्रबंधकारिणी कमिटी के द्वारा तैयार किय गये वार्षिक बजट पर विचार करना।

(13) वर्त्तमान उप विधियों के संशोधन या रिपोर्ट पर विचार करना जिसके लिए विशेष रूप से अग्रसूचना दी गई हो।

(14) निबंधन, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड सरकार के आए पत्रों एवं आडिट मेमोरेंडम या अन्य विषयों पर विचार करना।

(15) वैधानिक अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति पर विचार।

(16) अन्यान्य कार्यो के हेतु उप समिति बनाना।

(17) सभा में उपस्थित किये गये किसी अन्य कार्यो पर विचार करना।

21. **प्रबंधकारिणी समिति –**

(क) प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्षो का होगा। प्रबंधकारिणी समिति 07 सदस्यों का होगा एवं इसमें तीन पद अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के लिए होगा तथा शेष 04 सदस्य (पदधारी सहित) निर्वाचित होंगे।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे।

(ग) शीर्ष संस्था के प्रतिनिधि का चयन प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा तथा समिति का सदस्य होना अनिवार्य होगा। यह पद आरक्षित क्षेणी में नहीं आयेगा।

(घ) प्रबंधकारिणी समिति के पदधारी सदस्य लगातार दो टर्म तकही रह सकेंगे तथा प्रत्येक टर्म 05 वर्षो से अधिक नहीं होगा।

(ङ) अगर प्रबंधकारिणी कमिटी का कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाता है या लागातार तीन सभा में नहीं आता है तो कमिटी सदस्यों के बीच से किसी को उसके स्थान पर आगामी चुनाव तक के लिए नियुक्त कर सकती है।

(च) रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटीज के पूर्व संशोधन के बिना कोई भी सदस्य जो पाँच वर्षो तक प्रबंधकारिणी कमिटी में सेवा कर चुका हो पुनः निर्वाचन में खड़े होने का अधिकारी नहीं होंगे।

(छ) कोई भी व्यक्ति जो समिति का ऋणी हो प्रबंधकारिणी कमिटी का सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकता है अगर वह निर्वाचन से नियुक्त होता हो तो वह प्रबंधकारिणी कमिटी से निकाल दिया जाएगा और समिति का दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर आगामी चुनाव तक के लिए लिया जायेगा।

(ज) आमसभा की कार्यवाही पुस्तिका मंत्री के पास रहेगा।

22. प्रबंधकारिणी कमिटी की सभा जब कभी आवश्यकता होगी बुलाई जा सकती है परन्तु महीने में कम से कम एक बार अवश्य ही बुलाई जायगी।

सभापति या उसके परोक्ष में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कोई अन्य सदस्य प्रबंधकारिणी कमिटी की सभा में सभापति का कार्य करेगा।

कमिटी के 50 प्रतिशत सदस्यों की गणपूरक संख्या होगी। इन उप विधियों में लिये गये किसी प्रकार के विधान को छोड़ कर समस्त बातों का निर्णय बहुमत से होगा।

23. **प्रबंधकारिणी कमिटि के कर्तव्य** :– इसके निम्नलिखित कर्त्तव्य है।

(1) अंशों की स्वीकृति और सदस्यता की दरखास्ती पर विचार करना ।

(2) सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार करना तथा आज्ञा देना।

(3) उप विधि के अनुसार विगत सदस्यों की अंश पूंजी को पुनः वापस करने की मंजूरी देना।

(4) इन उप विधियों के अनुसार कोष स्थापित करना।

(5) इन उप पिधियों के अनुसार सदस्यों के पैदावार को बंधक रखकर उचित जमानत अग्रिम ऋण रूप में रूपया देना तथा उसके लौटाने की किस्तों को नियत करना।

(6) औजारों या मशीनों के खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबन्ध करना। संस्थानों/उद्योगों/प्रोसेसिंग प्लांट को स्थापित करना एवं प्रबंध करना।

(7) पैदावार के उचित स्टाक के हेतु प्रबंध करना और उनके वितरण हेतु व्यापारिक सूचना संघ कायम होगा।

(8) समिति के द्वारा बेचे जाने वाले माल या दूसरी वस्तुओं का समय–समय पर बिक्री की दर निश्चित करना।

(9) सदस्यों को कच्चे मालों को तैयार मालों में परिवर्तित करने हेतु दिये जाने वाले परिश्रमिक चार्जो को निश्चित करना।

(10) आम सभा के सभी दल से कमीशन एवं अन्य चीजों की दर को निश्चित करना।

(11) स्टोर्स या सम्पत्ति के प्राप्त करने एवं उनके खर्च करने का प्रबन्ध करना।

(12) सदस्यों से ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऋण लेने वालों की क्षमता पर विचार कर उचित ऋण मंजूर करना।

(13) सदस्यों द्वारा ऋण वापस करने की किस्तों को निर्धारित करना।

(14) समिति के कारबार के सम्बन्ध में समिति या समिति के अफसरों के पक्ष या विपक्ष में लगाये गये सख्त कानूनी कार्रवाईयों या दावों का समिति के लिए किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा स्थापना करना, उन्हें आगे बढ़ाना।

(15) समय–समय पर रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा निकाले गये आदेशों के अनुसार समिति के वैतनिक सेवकों को नियुक्त करना। मुअतल करना या बरखास्त करना।

(16) रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एवं अन्य अफसरों के निरीक्षण टिप्पणी पर विचार करना।

(17) कम–से–कम महीने में एक बार खजांची के पास के कैश बैलेंश को मिलाना।

(18) कानून, नियम और इन उप विधि के मुताबिक समिति के कार्यों, पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्मचारियों के लिए नियम बनाना।

(19) आम सभा के संकल्प और उप विधियों के अनुसार समिति के कार्यों को चलाना।

(20) झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम (एक्ट 6, 1935) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा इन उप विधियों के अनुसार समिति के कार्यों के लिए नियम बनाना।

(21) वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करना।

(24) सदस्यगण चाहे वे प्रबन्धकारिणी कमिटि के सदस्य हो या नहीं हो अपने सम्बद्ध की बातों पर विचार करने में भाग लेंगे।

(25) सदस्य हित में कृषि, औद्योगिक उपकरण का निर्माण सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में आपूर्तिकर्ता का कार्य करना एवं राज्य तथा राष्ट्र स्तर के सहकारी संस्थानों से सम्बन्धता प्राप्त करना एवं उनके एजेन्ट के रूप में कार्य करना।

(26) अपने सदस्यों को सस्ते मूल्य पर दवा खरीदने के मेडिकल स्टोर खोलना।

(27) सदस्यों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति हेतु तथा उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार के समस्त आगे बढ़ाने वाले तथा आकस्मिक कार्यों को करना।

(28) समिति के कारबार के लिए अपने सदस्यों से व्यवहार में प्रबन्धकारिणी कमिटि सामान्य व्यापारी की भांति दूरदर्शिता एवं तत्परता का व्यवहार करेगी। को–ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट रूल्स सर्कुलर तथा उप विधियों के अन्तर्गत को–ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट नियमों के विपरीत कार्यों से जो नुकसान होगा उसके लिए कार्यकारिणी कठिन रूप से एवं सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा।

(29) प्रबन्धकारिणी कमिटि की कार्यवाहक पुस्तिका :– वे विषय जिन पर सभा में बाद विवाद हुआ है या निर्णय हो चुका है,उसे कार्यवाहक पुस्तिका में लिखे जायेंगे।

(30) मंत्री के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(1) सभी आम सभा एवं कार्यकारिणी कमिटि की सभाओं को बुलाना तथा उनमें उपस्थित होना।

(2) वैध कार्यवाहक पुस्तिका में सभी कार्यवाहियों का लेखन।

(3) अंश पूंजी मूलधन ब्याज तथा अन्य बकायों का जो प्रति सदस्य के द्वारा आगामी वर्ष में देना होगा।

(4) समिति के कारबार चलाने हेतु आवश्यकीय सभी पुस्तकों एवं लेखाओं का कार्य के अनुसार ठीक तौर से रखना।

(5) पत्र व्यवहार करना और प्रबन्धकारिणी तथा सदस्यों को सभी प्रकार की आवश्यकीय सूचनायें देना।

(6) कर्मचारियों की सहायता से इन चीजों को तैयार करना।

(अ) पिछले 31 मार्च को अन्त होने वाले वर्ष के लिए एक स्टेटमेन्ट तैयार करना।

(ब) सम्पत्ति का विवरण और समिति के देन का ब्योरा तैयार करना।

(स) रजिस्ट्रार या प्रबन्धकारिणी द्वारा दिये गये कोई अन्य विवरण तैयार करना।

(7) कैश बुक पर हस्ताक्षर करना तथा देखना कि कैश बैलेंश अधिक तो नहीं बढ़ गया।

(8) रजिस्ट्रार, प्रबन्धकारिणी या बैंक के द्वारा दिया गया अन्य कार्यों को करना।

(9) प्रबंधकारिणी द्वारा निर्धारित कर्तव्य।

31. **खजांची के कर्तव्य** :– खजांची सभी रूपये का चार्ज रखेंगे जो समिति सरकार या बाहरी व्यक्ति से प्राप्त होगा और प्रबन्धकारिणी कमिटी के निश्चय के अनुसार समिति सभी प्रकार के व्यय करेगी। प्रबंधकारिणी कमिटि द्वारा निर्धारित कर्तव्य।

32. **मंत्री तथा पदाधिकारियों का भत्ता तथा पारिश्रमिक** :– आम सभा के द्वारा निर्धारित दर पर मंत्री तथा पदाधिकारियों को दिन प्रतिदिन समिति के कार्य में भाग लेने के हेतु भत्ता मिलेगा।

33. **सदस्यों को कर्ज** :– औद्योगिक प्रयोजनों के हेतु समिति के द्वारा उप विधि 25/18 के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार ऋण मंजूर होगा।

34. समय पर नहीं चुकाए गये सभी कर्ज पर अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। रूपया जमा करने की अवधि सबसे अन्तिम तिथि से शुरू होगा। कुल ब्याज जैसे साधारण ब्याज जोड़ कर अतिरिक्त ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा।

35. **कच्चा माल** :– समिति उन कच्चे मालों को उस समय उस स्थान से अगर उस दर पर खरीद कर सकती है और कम से कम तीन महीने पर प्रबन्धकारिणी कमिटि के द्वारा स्टींक चेक किया जाय।

36. आम सभा के आम आदेश जो समय–समय पर निश्चित होंगं के अनुसार सभी कच्चे माल सदस्यों को देगी। गैर आदमी के हाथ केवल नगद दाम लेकर बेचा जा सकता है।

37. सदस्यों को उस स्थिति में जब कि वह दिये कच्चे माल को उस काम में नहीं लगा कर जिस कार्य हेतु उसे दिया गया या अन्य कार्य में लगाता है तो उसे पाँच रूपया तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

38. **तैयार माल** :– (अ) समिति की आज्ञा से ही सदस्यगण अपने–अपने तैयार माल को बाहरी व्यक्ति के हाथों बेच सकते हैं अगर समिति के हाथ बेचा जाएगा तो उसका मूल्य वही होगा जो समय–समय पर कमिटि के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसी भी गैर सदस्य से तैयार माल नहीं खरीदा जाएगा।

(ब) उस अवस्था में जब सदस्यगण अपने तैयार माल को बाहरी व्यक्ति के हाथ बेचते तो समिति से लिये गये कर्ज को सूद के साथ बिक्री किये गये माल के आमदनी से भुगतान करनी होगी।

39. अगर बाजार मन्दा है और वस्तुओं की उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा हो तो सदस्यगण अपने तैयार माल को समिति के जिम्मे रख सकते हैं। इस प्रकार का अस्थायी अग्रिम सूद के साथ पुनः लौटा दिया जाएगा ज्योंहि माल की बिक्री होगी।

40. सीधी अग्रिम जो सदस्य का पैदावार बढ़ाने में सहायता प्रदान करने हेतु दिये जायेंगे माल बिक्री होने पर वापस कर दिये जायेंगे।

41. समिति सदस्यों से एकत्रित तैयार माल को सबसे अधिक लाभ पर बेचने का प्रबन्ध करेगी।

42. **निश्चित जमा और कर्ज** :– रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज से समय–समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार साधारण आम सभा में निर्धारित ब्याज की दर पर समिति कर्ज एवं जमा ले सकती हैं।

43. **लेखाएँ** :– (अ) प्रबन्धकारिणी कमिटि उचित पुस्तकों को निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध रखने का प्रबन्ध करेगी। समिति के द्वारा जितने रूपये जमा होते हैं, व्यय होते हैं तथा वह विषय जिस पर आय या व्यय होता है।

(ब) मालों के सभी प्रकार खरीद एवं बिक्री के लिए सम्पत्ति और देन और।

(द) सभी भाउचर, दस्तावेज, रसीदें और इस प्रकार के अन्य कागजात और पुस्तकों जो लेखाओं की पुस्तिकों में प्रवेश की जाती है।

(1) लेखाओं की पुस्तक समिति के रजिस्ट्रार ऑफिस में रखी जायगी।

(2) प्रत्येक वर्ष के 30 जून को समिति का कारबार का वर्ष समाप्त होगा।

44. **खाता बही एवं लेखा बही** :– निम्नलिखित खाता बही तथा लेखा बही समिति के द्वारा रखी जायगी :–

(अ) सदस्यों एवं हस्तगत करने वालों (मेम्बर और हिस्सा) की खाता बही जिसमें प्रत्येक के अधिकार में रहने वाले अंश का वर्णन रहेगा।

(ब) आम सभा एवं प्रबन्धकारिणी कमिटि की मीटींग की कार्यवाही की कार्यवाहक पुस्तिका।

(स) कैश बुक जिसमें आय–व्यय तथा अवशेष का वर्णन रहेगा।

(द) कर्जा बही।

(इ) (जमा बही) अमानत बही।

(प) कोई अन्य बही जो प्रबन्धकारिणी कमिटि की समझ में आवश्यक हो और रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटिज के द्वारा समय–समय पर विहित की गयी है।

45. जमा की खाता बही को छोड़ कर समिति की अन्य सभी खाता बही जो सदस्य के देखने के लिए सर्वदा खुला रहेगी बशर्ते कि सदस्यगण अपने जमा के लेखा को ही देख सकते हैं।

46. **प्रतिनिधित्व** :– सभापति और मंत्री या प्रबन्धकारिणी कमिटि के तीन सदस्य कोष एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगाए गये सभी चार्ज के दस्तावेज एवं कागजों को बना सकते हैं तथा उपहस्ताक्षर कर सकते हैं और खास कर समिति के नाम के सभी प्रोमिसरी नोटस बिल्स अन्य दस्तावेज।

47. **मोहर** :– प्रबन्धकारिणी कमिटि के हेतु एक मोहर रखेगी यह मोहर मंत्री के देख–रेख में रहेगी।

48. **लाभों का वितरण** :– (1) प्रबंध संबंधी स्थापना या अन्य प्रासांगिक व्ययों को काटकर जो अवशेष रहेगा वह शुद्ध लाभ समझा जायेगा। जिसका वितरण आम सभा के द्वारा होगा।

(2) वितरण करने योग्य शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत रिर्जव फण्ड में जाएगा और अविशिष्ट का कार्यों में लगाया जायेगा।

(अ) वर्ष के अन्त होने के पहले कम–से–कम 6 महीने तक हस्तगित करने वाले भुगतान किये गये अंशों पर 10 प्रतिशत लाभांश।

(ब) आम सभा के द्वारा निर्धारित दर पर समिति के द्वारा बेचे एवं खरीदे गये माल पर प्रिमीयम एवं रिबेट देना।

(स) आम सभा के द्वारा निर्धारित एवं रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव के द्वारा अनुमोदित दर पर पदाधिकारियों को पारिश्रमिक या बोनस देना।

(इ) शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत अशोध्य ऋण (बैड–डेट) में।

(फ) समिति के किसी अन्य कोष में,

(ज) शुद्ध लाभ अवशिष्ट रहने पर रिर्जव फण्ड में जाएगा नहीं तो नफा या नुकसान के लेखा में जायेगा।

49. **सुरक्षित निधि (रिर्जव फण्ड)** :–

(1) सुरक्षित, निधि, निम्नलिखित बातों पर होगी :–

(अ) एक्ट के अधीन शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत प्रति वर्ष रिर्जव फण्ड में जमा होगा।

(ब) कोई दूसरी रकम जो लाभ में से या किसी अन्य तरह से इसके लिए मंजूर की गयी हो।

(स) समिति बनाने के हेतु प्रारंभिक व्ययों को काटकर प्राप्त प्रवेश शुल्क।

(द) अंशों के मूल्य जो समिति के द्वारा जब्त किये गये हों।

(2) सुरक्षित निधि समिति की होगी और सदस्यों के बीच बांटी नहीं जायेगी।

(3) सुरक्षित निधि निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के हेतु उपलब्ध होगी :

(अ) किसी भी परोक्ष स्थिति के उत्पन्न होने से जो क्षति होगी उसे पूरा करने हेतु तथा उससे जो रिक्त हो उसके पूर्ति अग्रिम होनेवाले लाभ के कोष से कर दी जाएगी।

(ब) समिति को किए एक आवश्यकता की पूर्ति के हेतु जिसकी पूर्ति अन्य उपायों से नहीं हो सकती है।

(स) किसी भी कर्ज के हेतु जमानत जो समिति को लेना है।

(4) समिति के भंग हो जाने पर सुरक्षित निधि उन कार्यों में लगायी जाएगी जिनका निर्धारण विशेष सत्र में जो इसी उद्देश्य से होगा और सोसाइटीज द्वारा संबोधित हो चुका हो।

50. सुरक्षित निधि झारखण्ड को–ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट, 1935 का एक्ट 6 के विधान के अनुसार ऐसे अनेक कार्यों से लगायी जायेगी या जमा की जायेगी और उसकी आय से समिति के काम में लगाने हेतु रिर्जव फण्ड के एक अंश की मंजूरी दें।

51. **उप विधियों का परिवर्तन** :– कोई भी उप विधि परिवर्तन या हटायी नहीं जायेगी जब तक कि :–

(अ) आम सभा की बैठक के 15 दिन पहले तक सदस्यों को इस काम के करने की प्रस्ताव की सूचना नहीं दे जाती है।

(ब) को–ऑपरेटिव सोसाइटिज के अधीन विधानों के अनुसार जब तक यह प्रस्ताव आम सभा में उपस्थित सदस्यों की पंचमांष (1/5 भाग) से स्वीकृत नहीं हो जाता है।

(स) इस प्रकार के संशोधनों या परिवर्तन तब तक कार्य में स्वीकृत नहीं हो जाता है।

52. कोई भी विवाद जिसका निबटारा प्रबन्धकारिणी कमिटि या आम सभा में नहीं हो सकता : सन् 1935 का एक्ट 6 के अधीन दिये गये तरीके से निबटारा के हेतु रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

53. **विघटन** :– असाधारण आम सभा जो इसी निमित्त बुलाई जाएगी के तीन चौथाई सदस्यों के संकल्प पर रजिस्ट्रार के अनुमोदन से समिति विघटित कर दी जा सकती है या दूसरी समिति के साथ मिला दी जा सकती है।

54. आम सभा एक्ट के अध्यधीन सरकार द्वारा बनाये गये कानून की (1935 ई के को–ऑपरेटिव एक्ट 6 की) एक प्रतिलिपि रखेगी और एक प्रतिलिपि उन उपविधियों का रखेगी जो सर्वदा उचित समय पर देखने हेतु अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में खुली रहेगी।

55. उन सभी बातों का जिनका जिक्र इन उपविधियों में नहीं किया गया है, उन विषयों को 1935 ई0 को–ऑपरेटिव सोसाइटिज एक्ट और एक्ट के अधीन बने नियमों के अनुसार होगा। अगर एक्ट में कोई ऐसा विधान या नियम जो इन बातों में प्रयोग किये जा सकते हैं न हो तो इनका निबटारा उसी प्रकार होगा, जैसा रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटिज निर्धारित करेंगे।

56. यद्यपि उपविधियों में कुछ भी वर्णित हो झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

क्र.स.	आवेदक का नाम	उम्र	पिता/पति का नाम	पेशा	हस्ताक्षर

विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की सहकारी समितियों के निबंधन हेतु झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 में उपविधियों (BY-LAWS) की प्रति रक्षित है, जो निम्नवत् हो :–

1. शिक्षत बेरोजगार सहयोग समिति लि0 की उपविधियाँ
2. सहकारी उपभोक्ता भंडार
3. मोटर परिवहन सहकारी समिति
4. गृह निर्माण सहयोग समिति
5. श्रमिक सहयोग समिति
6. मत्स्यजीवी सहयोग समिति
7. औद्योगिक सहयोग समिति
8. कुक्कुट पालन सहयोग समिति
9. प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति
10. फार्मर्स सर्विस सहयोग समिति
11. क्रेडिट को–ऑपरेटिव सहयोग समिति
12. आदर्श सहयोग समिति
13. क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ
14. नाव यातायात सहकारी समिति
15. फल–सब्जी उत्पादक सहयोग समिति
16. प्राथमिक कृषि साख सोसयटी
17. संयुक्त कृषि सहयोग समिति
18. दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति
19. ग्राम उद्योग सहयोग समिति
20. व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 की उपविधियों
21. अन्यान्य।

उपर्युक्त उल्लिखित उपविधियाँ, झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2015 में रक्षित है, सहकारी समितियों के निबंधन कराने के संदर्भ में संबंधित उपविधियों (अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप) प्रयुक्त किया जाना अपेक्षित है।